"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 128] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 2 जून 2009—ज्येष्ठ 12, शक 1931

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जून 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-18/दो/गृह-सी/2009.—शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (केन्द्रीय अधिनियम, 1923 का सं. 19) की धारा 2 के खण्ड 8 के उपखण्ड (ग) तथा (घ), सहपठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्र. एस. ओ. 1285, दिनांक 04 मई 1963 तथा मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (मध्यप्रदेश राज्य कार्यालय) के स्थान जिसमें :—

(1) भिलाई डिपो,
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड,
बिजली नगर,
ग्रेट ईस्टर्न रोड, भिलाई-3,
जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)

स्थित है, को इस आधार पर कि उनके संबंध में जानकारी या उनका विनाश या उनमें बाधा या उसमें हस्तक्षेप शत्रु के लिए उपयोगी होगा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2009

क्रमांक एफ-4-18/दो/गृह-सी/2009.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ-4-18/दो/गृह-सी/2009, रायपुर, दिनांक 02-06-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, सचिव.

Raipur, the 2nd June 2009

NOTIFICATION

F No. 4-18/Two/Home-C/2009.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (c) and (d) of clause 8 of Section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Central Act No. 19 of 1923), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S. O. 1285 dated the 4th May, 1963, and Madhya Pradesh State Re-organisation Act, 2000, the State Government of Chhattisgarh hereby declares the place whereon :—

(1) Bhilai Depot,
Bharat Petroleum Corporation Limited,
Bijli Nagar,
Great Eastern Road, Bhilai-3,
District-Durg (Chhattisgarh)

of Bharat Petroleum Corporation limited Bhopal (M. P. State Office) is situated to be a "Prohibited Place" for the purpose of the said Act on the ground that information with respect thereto or destruction or obstruction thereof or interference therewith would be useful to an enemy.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ASHOK JUNEJA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.